|| कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ||

—:: रूची की अभिव्यक्ति :—

कमांक/लो0क0वि0/2015/2312 दुर्ग, दिनांक 07/11/2015

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, नगर पालिक निगम, दुर्ग के अंतर्गत राजेन्द्र पार्क का संचालन एवं संधारण कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदार/संस्था/एन.जी.ओ./एजेन्सी से दिनांक 27/11/15 को सायं 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से रूची की अभिव्यक्ति आफर कार्यालय लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग में तीन लिफाफा पद्वती के माध्यम से आमंत्रित की जाती है ।

उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी दस्तावेज उपस्थित एजेन्सी/फर्म के समक्ष दिनांक 28/11/15 को 5.00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में खोली जावेगी ।

नियम एवं शर्ते :—

1— अमानत राशि के रूप में एफ0डी0आर0 रू. 25,000/— का आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नाम से जमा करना होगा।
2— राजेन्द्र पार्क प्रबंधन अवधि 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी । तथा01 वर्ष के पूर्व नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा । अधिकतम प्रबंधन अवधि 03 वर्ष के लिए वैद्य होगी ।
3— दर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार, नगर निगम, दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा । लिफाफा "अ" एवं आफर दर लिफाफा "ब" में संलग्न करना होगा ।
4— फर्म संबंधी दस्तावेज लिफाफा "अ" में संलग्न करना होगा ।
5— अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समयावधि में देखी जा सकती है ।

कार्यपालन अभियंता
वास्ते/— आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0 कमांक/लो0क0वि0/2015/2312/12रेस्ट्रन्
दुर्ग, दिनांक 07/11/2015

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम,दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3— जनसंपर्क अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित कर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ हेतु ।
4— श्री टी0के0देव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित कर रूचि की अभिव्यक्ति आफर वेब साईड में प्रकाशित करने हेतु ।
5— नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु :— नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय भवन ।

कार्यपालन अभियंता
वास्ते/— आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
5/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ।।
–:: राजेन्द्र पार्क संचालन/संधारण कार्य हेतु नियम/शर्ते ::–

1. राजेन्द्र पार्क की प्रबंधन अवधि 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी । तथा 01 वर्ष के पूर्व नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा । अधिकतम प्रबंधन अवधि 03 वर्ष तक के लिए वैद्य होगी ।
2. राजेन्द्र पार्क की सुरक्षा तीनों पालियो में गार्ड की व्यवस्था प्रबंधनकर्ता को करना होगा।
3. प्रबंधनकर्ता राजेन्द्र पार्क में पेड़ पौधो में खाद, पानी की व्यवस्था का देखभाल करना होगा।
4. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क में बच्चों के खेल उपकरण का आवश्यक संधारण देखाभाल करना होगा।
5. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखना होगा।
6. पार्क में लगे हुए लाईट एवं प्रकाश व्यवस्था का संधारण स्वंय को करना होगा।
7. राजेन्द्र पार्क में विद्युत व्यय नगर पालिक निगम, दुर्ग वहन करेगे।
8. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क में विद्यमान मूर्तियों की साफ–सफाई एवं पार्क की साफ–सफाई प्रतिदिन करना होगा तथा मूर्तियों की देखभाल करना होगा।
9. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क में फाउनटेन को नियमित समय में चालू बंद करना होगा।
10. प्रबंधनकर्ता केंटिन, विज्ञापन, पे–झूला लगा सकेगा, जिसके लिए प्रतिठेला 20.00रू प्रतिदिन के हिसाब से जमा करना होगा।
11. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क में विद्यमान प्रसाधन का रोजाना साफ–सफाई करना होगा।
12. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क स्थित प्रत्येक सामाग्री जैसे बैन्च चेयर का देखभाल की व्यवस्था करना होगा।
13. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क में प्रवेश निःशुल्क रखना होगा।
14. राजेन्द्र पार्क के निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक फर्म को परिसर हेतु निर्धारित निक्षेप प्रतिभूति राशि नगद/एफ.डी.आर./डी.डी. जमा करना अनिवार्य है।
15. उच्चतम निविदा ऑफर राशि को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, दुर्ग में निवृत रहेगा। नगर निगम उच्चतम निविदा ऑफर राशि को स्वीकृत करने बाध्य नहीं रहेगी।
16. उच्चतम निविदा ऑफर के प्रबंधनकर्ता को सूचना मिलने पर की उनकी ऑफर राशि को नगर पालिक निगम द्वारा स्वीकृत कर लिये है। उक्त की सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर 50% निविदा ऑफर राशि जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में राशि जमा न होने पर निक्षेप राशि राजसात कर ली जावेगी तथा पार्क की पुनः आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
17. उच्चतम निविदा ऑफर राशि प्राब्यजि के रूप में जमा की जावेगी जो वापसी योग्य नहीं होगी।
18. प्रबंधनकर्ता को पार्क कानून प्रतिबंधित कोई भी कार्य अथवा व्यवसाय का अधिकार नहीं होगा।

कमशः– 02

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

19. प्रबंधनकर्ता को पार्क परिसर में अन्य सामान विक्रय हेतु नहीं रखेगा तथा आवागमन में किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
20. प्रबंधनकर्ता पार्क के स्वरूप में निगम की अनुमति लिये बिना रूपांतरन नहीं करेगा। यदि बिना अनुमति के पार्क के मूल स्वरूप में निविदाकार द्वारा रूपांतरण किया जाता है तो निगम को अधिकार होगा की पार्क का प्रबंधन एवं संचालन हेतु दिया गया ठेका समाप्त कर बेदखल कर दी जावेगी।
21. प्रबंधनकर्ता को राजेन्द्र पार्क को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण का अधिकार नहीं होगा।
22. प्रबंधनकर्ता को निगम के सामेकित कर एवं सामान्य जलकर आदि प्रति वर्ष पृथक से देय होगा।
23. निविदाकार को नियम–शर्तो के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम में प्रावधनित धाराओं एवं नियमों के तहत निगम द्वारा निविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही करने सक्षम होगी।
24. प्रबंधनकर्ता द्वारा पार्क प्रबंधन एवं संचालन हेतु निगम द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लधंन किये जाने पर उसे निगम द्वारा दिया गया ठेका तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निगम को अधिकार रहेगा तथा आयुक्त नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा नोटिस देकर निविदा कार से पार्क परिसर का कब्जा प्राप्त कर सकेगा। इसमें होने वाले हर्जाना एवं खर्च का भागीदार निविदाकार रहेगा।

–:: ऑफर पत्र लिफाफा ''अ''::–

नगर पालिक निगम,दुर्ग के कार्यालयीन पत्र कमांक/लो0क0वि0/2015/2312/07.11.15 में राजेन्द्र पार्क संधारण/संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से ऑफर मंगाया गया है, उक्त कार्य को हमारी संस्था/फर्म अथवा स्वयं करने को इच्छुक है, तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तो का अवलोकन किया गया जिसके पालन हेतु हम सहमत है । उक्त कार्य हेतु हमारी वार्षिक दर रू.............. .... है । तथा तीन वर्षो की संचालन हेतु कुल राशि रू. .... होगी ।

ऑफरकर्ता

गवाह का नाम/पता

नाम ....
पता ....
....
मो0 नं0 ....

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ।।

–:: ऑफर पत्र लिफाफा "ब"::–

(अमानत राशि)

नगर पालिक निगम,दुर्ग के कार्यालयीन पत्र कमांक/लो0क0वि0/2015/2312/07.11.15 में राजेन्द्र पार्क संधारण/संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से ऑफर मांगा गया है, इस कार्य हेतु अमानत राशि के रूप में बैंक का नाम .... एफ0डी0आर0कमांक .... दिनांक .... राशि रू. 25,000/– का संलग्न है ।

ऑफर कर्ता

नाम ....

पता ....

....

मो0 नं0 ....

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग